(पीत पत्र के बदले में)

संचिका सं0–01/स्था0 (विविध)–44/2017

प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा–02, 03 एवं 04
नगर विकास एवं आवास विभाग।

राज्य आयुक्त, निःशक्तता का कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक–126 दिनांक–29.06.2017 एवं पत्रांक–241 दिनांक–01.09.2017 के आलोक में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय के आलोक में प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन दाखिल किया जाना है। इस क्रम में उक्त अधिनियम के धारा–37 के प्रावधानों (छायाप्रति संलग्न) के अनुरूप अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना है।

अतः अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवेदन दाखिल किये जाने के क्रम में प्रासंगिक प्रतिवेदन आज ही अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0:–यथोक्त।

4.0.S–323
11/9/17

11.9.17
अवर सचिव (स्थापना),
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

D:\Letter. 2015\pit ptra.doc

136

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता का कार्यालय,

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

पत्रांक-सं0सं0-06/मुख्य आयुक्त-04/2014 941/आ0नि0 दिनांक-01 सितम्बर 2017

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

(1) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
(2) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना।
(3) प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- **माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली रिट पीटिशन (सिविल) सं0-116/1998 मे पारित निर्णयानुसार बिहार राज्य द्वारा समेकित विस्तृत अनुपालन प्रतिवेदन दायर करने हेतु नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with disabilities Act, 2016) की विविध सुसंगत धाराओं के प्रावधानों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में विभागीय अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :- **इस कार्यालय का पत्र सं0-126 दिनांक-29.06.2017 एवं पत्र सं0-174 दि0-02.08.2017**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार की अधिसूचना अनुसार नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with disabilities Act, 2016) दिनांक-19.04.2017 से पूरे भारत देश में प्रभावी है। अधिनियम की प्रति इन्टरनेट पर उपलब्ध है। प्रासंगिक पत्रों द्वारा नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with disabilities Act, 2016) की विविध सुसंगत धाराओं के प्रावधानों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में विभागीय अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) सं0-116/1998 में दिनांक-25 अप्रैल, 2017 को पारित निर्णय के आलोक में बिहार सरकार (प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के माध्यम से) द्वारा राज्य अन्तर्गत नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with disabilities Act, 2016) से सम्बद्व समेकित अनुपालन प्रतिवेदन सुनवाई की तिथि 18.08.2017 को दाखिल किया गया।

विभागों से अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थितिनुसार दायर उक्त समेकित अनुपालन प्रतिवेदन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 25.04.2017 को पारित आदेश के आलोक में असंतोषप्रद बताया है तथा टिप्पणी की है कि पारित आदेश का अपेक्षित अनुपालन नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में विहार राज्य सरकार को नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with disabilities Act, 2016) के प्रावधानों के सम्बन्ध में समेकित विस्तृत अनुपालन शपथ-पत्र दायर करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया है। तदनुसार विहार सरकार द्वारा समेकित विस्तृत अनुपालन शपथ-पत्र यथाशीघ्र दायर किया जाना है, अन्यथा इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किया जा सकता है।

अतः निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with disabilities Act, 2016) की आपके विभाग से सम्बन्धित धाराओं के प्रावधानों का विवरण संलग्न करते हुए अनुरोध है प्रावधानों पर कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विभाग का अनुपालन पदाधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की ताकि राज्य सरकार की ओर से समेकित अनुपालन प्रतिवेदन यथ सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सके। अधिनियम के अन्य धा में भी, यदि ये आपके विभाग के कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित हों, विभा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

चूँकि यह विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धि अनुरोध है कि मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभागीय अनुपा यथासमय उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

राज्य आयुक्त
बिहार, पटना।

Relevant Sections of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016

RURAL DEVELOPMENT DEPT.,
URBAN DEVELOPMENT DEPT.
AND
REVENUE AND LAND REFORMS DEPT.

Section No.	Title of the Section Details of the Sections
37	**Special schemes and development programmes** 37. The appropriate Government and the local authorities shall, by notification, make schemes in favour of persons with benchmark disabilities, to provide,— (*a*) five per cent. reservation in allotment of agricultural land and housing in all relevant schemes and development programmes, with appropriate priority to women with benchmark disabilities; (*b*) five per cent. reservation in all poverty alleviation and various developmental schemes with priority to women with benchmark disabilities; (*c*) five per cent. reservation in allotment of land on concessional rate, where such land is to be used for the purpose of promoting housing, shelter, setting up of occupation, business, enterprise, recreation centres and production centres.